OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), BIHAR
(LOCAL AUDIT WING), PATNA-800001

No. L.A. Sur./ 89

Dated:- 03.06.2011

To

The Principal Secretary to the Government of Bihar,
Urban Development and Housing Department
Patna.

Sir,

Audit Report No **39/11-12** on the accounts of **Darbhanga Muncipal corporation** for the period **2009-10** is enclosed for your kind information and necessary action.

Yours Sincerely

Encl:- As above

Sr.Audit Officer/Surcharge

नगर विकास एवं आवास
08 JUN 2011
बिहार, पटना

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, बिहार, पटना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्याः– 39/2011–12

नगर निगम, दरभंगा

प्रस्तावना :–

नगर निगम, दरभंगा के वर्ष 2009–10 के लेखाओं का नमूना जॉच प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, बिहार, पटना के एक लेखा परीक्षा दल द्वारा दिनांक 14.02.2011 से 24.03.2011 की अवधि में किया गया।

2. प्रशासन

01.04.09 से 31.03.10 तक की अवधि में महापौर, उपमहापौर, नगर आयुक्त एवं अपर नगर आयुक्त का कार्याकाल निम्नलिखित था।

कम सं0	महापौर	कार्य अवधि
1	श्री अजय पासवान	01.04.09 से 31.03.10

कम सं0	उपमहापौर	कार्य अवधि
1	श्री बदरूज्जमा खॉ	01.04.09 से 31.03.10
कम सं0	**नगर आयुक्त**	**कार्य अवधि**
1	श्री विनोद कुमार झा	01.04.09 से 31.03.10

कम सं0	अपर नगर आयुक्त	कार्य अवधि
1	श्री दयानंद झा	01.04.09 से 31.08.09
2	श्री राम विलास पासवान	25.03.09 से 31.03.10

3. लेखा परीक्षा का परिसीमा

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत व नमूना जॉच की गई अभिलेखों की सूची परिशिष्ट – I एवं लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत अथवा असंधारित अभिलेखों की सूची परिशिष्ट – II पर दी गई है।

4. आंतरिक लेखा परीक्षा

पटना नगर निगम अधिनियम 1951 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम 1922 तथा उनके अंतर्गत बनी नियमावली में निगम लेखा की आंतरिक जॉच का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, फिर भी बिहार नगर पालिका नियमावली, 1928 के नियम 20,30 तथा 66 एवं बिहार नगर पालिका लेखा नियमावली के नियम 30, 37 और 39 में पदाधिकारियों द्वारा आंतरिक जॉच के कुछ ऐसे उपबंध है जिससे निगम लेखा के संधारण एवं समन्वय पर पूर्ण नियंत्रण रखा जा सकता है।

अभिलेखो की जॉच के क्रम में यह पाया गया कि उक्त जॉच प्रकिया का कार्यान्वयन निगम प्रशासन द्वारा पूर्णतः नहीं किया गया था, जिससे अनेक त्रुटियॉ एवं अनियमितताएँ दृष्टिगोचर हुई।

अतः भविष्य में नियमित अंतराल पर लेखाओं की जॉच करायी जाय ताकि अनियमितताओं से बचा जा सके।

5. **पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन नहीं किया जाना :–**

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 419/2009–10 के कंडिका सं0 04 के अनुसार 15 प्रतिवेदनों में 531 कंडिकाएँ लंबित थीं, जिनका अनुपालन प्रतिवेदन निगम कार्यालय द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त प्रतिवेदन सं0 419/09–10 में 49 कंडिकाएँ थी, जिनका अनुपालन भी नहीं किया गया अर्थात् 16 प्रतिवेदनों के कुल 580 कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन निगम कार्यालय द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट – III पर सलंग्न है। अनुपालन प्रतिवेदन के अभाव में अंकेक्षण में उठाये गये महत्त्वपूर्ण बिन्दुओ पर कारवाई की गयी अथवा नहीं, अंकेक्षण कार्यालय को ज्ञात नहीं हो सका। अतः निगम प्रशासन से अनुरोध किया जाता है कि लंबित कंडिकाओ का अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्र तैयार कर स्थानीय लेखा परीक्षक को प्रेषित किया जाय।

6. **अधिदृश्य**

नगर निगम, दरभंगा सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदानों तथा स्वयं के स्त्रोतों से प्राप्त होने वाले आय से वित्त पोषित है। नगर निगम के रोकड़बही के अनुसार वित्तीय वर्ष 2009–10 में निगम की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी –

	राशि (₹)
01.04.09 को प्रारंभ शेष वर्ष के दौरान प्राप्ति	18,67,96,852.45
स्वयं के स्त्रोतो से प्राप्ति	4,62,89,373.15
सरकार से प्राप्त विभिन्न योजना अनुदान	10,97,73,211.00
वेतन अनुदान	1,20,49,351.00
मैचिंग ग्रांट	2,15,68,570.00
मुद्रांक शुल्क	1,82,42,578.00
दरभंगा क्षेत्रीय विकास प्राधिकार से प्राप्त ऋण	21,00,000.00
जमानत राशि	34,08,880.00
बैंक सूद से प्राप्ति	16,42,246.00
जीवन बीमा की प्राप्त राशि	3,53,150.00
अग्रिम वापसी की राशि	69,385.15
कुल प्राप्ति	40,22,93,596.75
वर्ष के दौरान व्यय	
स्थापना एवं अन्य व्यय	5,91,56,098.00
जमानत राशि की वापसी	21,77,214.00
योजना मद की राशि से व्यय	5,81,45,512.00
कुल व्यय	11,94,78,824.00
31.03.10 को अंतशेष	28,28,14,772.75

वित्तीय वर्ष 2008–09 के अंतशेष ₹18,68,56,852.45 में से ₹60,000.00 जो पोखर, घाट, जलाशय इत्यादि मद में प्राप्त हुयी थी तथा जो कोषागार में कम जमा थी के कारण वित्तीय वर्ष 2009–10 का प्रारंभ शेष ₹18,67,96,852.45 दर्शाया गया था।

बजट में उपबंधित प्रावधान तथा वास्तविक प्राप्तियों में बहुत बड़ा अंतर था, जो स्पष्ट करता है कि बजट तथ्यों एवं ऑकड़ों पर आधारित नहीं था और उसमें उपबंधित प्राप्तियाँ आधारहीन थीं। अतः बजट बनाने में नियमानुकूल प्रावधान करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

9. वार्षिक लेखा

बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 की धारा 88 के तहत प्रत्येक नगर पालिका में मुख्य नगर पालिका पदाधिकारी द्वारा वर्ष की समाप्ति के चार माह के भीतर एक वित्तीय विवरण तैयार करवाना है, जिसमें नगरपालिका लेखा के पूर्ववर्ती वर्ष का आय – व्यय लेखा तथा प्राप्तियों एवं अदायगियों की अंतर्विष्टी होगी। इसे विहित फार्म में तैयार किया जाना है। इसके अतिरिक्त बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 के नियम 82 से 84 में त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखा बनाने के नियम एवं फार्म दिये गये हैं।

नगर निगम दरभंगा द्वारा वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया था। अतः नगर निगम के पदाधिकारीयों को यह सुझाव दिया जाता है वे वार्षिक लेखा तैयार करें।

10. सरकारी अनुदान

नगर निगम, दरभंगा में संधारित की गयी सरकारी अनुदान पंजी के अनुसार अनुदानों का संव्यवहार निम्न प्रकार था –

विवरण	वित्तीय वर्ष (2009–10) (₹)
प्रारंभ शेष	19,33,25,215.58
वर्ष के दौरान प्राप्ति	16,16,33,381.00
कुल प्राप्ति	35,49,58,596.58
वर्ष के दौरान व्यय	7,36,94,863.00
अंतशेष	28,12,63,733.58

इन अनुदानों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट V पर दिया गया है।

अनुदान पंजी की जॉच में पाया गया कि कई अनुदानों की राशियॉ लंबे समय (कुछ अनुदानों जैसे परिशिष्ट V की क0 सं0 1,2,4,5,6,7,8 तथा 20) से अव्यवहृत पड़ी हुयी थी। इसके अतिरिक्त सरकार प्रायोजित कई योजनाएँ जैसे दशम् वित्त आयोग, एकादश वित्त आयोग, बालिका समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम इत्यादि अब बंद हो चुकी है तथा सरकार द्वारा इसके लिए अनुदान भी नहीं दिया जा रहा है। इसके बावजूद इन मदों में बड़े पैमाने पर निगम द्वारा राशि बाधित कर रखा गया था। इसके अलावे केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित कई योजनाएँ जैसे – द्वादश वित्त आयोग, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, पोखर/घाट/ जलाशय इत्यादि के निर्माण/ जीर्णोद्धार, पथों के निर्माण/ जीर्णोद्धार आदि की राशियों में से निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 तक की समाप्ति तक बहुत हीं कम राशियॉ व्यय की गयी थी अर्थात् बड़े पैमाने पर इन राशियों को बाधित कर रखा गया था।

समाप्त हो चुके योजनाओं की राशि को बाधित कर रखना एवं इसे संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी को नहीं लौटाने का कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया। बाधित कर रखी गयी राशि को शीघ्र संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी को वापस कर दिया जाय।

साथ हीं, चल रही योजनाओं के कियान्वयन में बढ़ती जा रही शिथिलता को दूर करने का प्रयास किया जाय।

11. सरकारी ऋण

नगर निगम, दरभंगा की रोकड़बही एवं ऋण पंजी की जॉच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2009–10 में निगम को सरकार से कोई ऋण प्राप्त नहीं हुआ था। ऋण पंजी अधतन नहीं की गयी थी, जिसके आभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि 31.03.10 को निगम के उपर कितने ऋण तथा उसके ब्याज की देयता बाकी है।

पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन (419/09–10) के अनुसार दिनांक 25.06.07 तक ऋण की स्थिति निम्न प्रकार थी –

दिनांक 16.11.70 से 31.03.05 तक प्राप्त ऋण की राशि	10,92,58,595.00
ऋण की वापसी	(–) 2,10,21,795.00
शेष ऋण की राशि	8,82,36,800.00
ब्याज की राशि	9,55,82,730.00
कुल बकाया ऋण	18,38,19,530.00

ऋण पंजी को अद्यतन कर 31.03.10 तक ऋण देयता को ज्ञात कर अगले अंकेक्षण में बतलाया जाए।

12. रोकड़पाल द्वारा ₹4206.00 कम जमा

(i) रोकड़पाल रोकड़बही के जॉच में पाया गया कि रोकड़बही का गलत योग करने के कारण ₹3791.00 रोकड़ पाल द्वारा निगम कोष में कम जमा किया गया था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है –

क्र0 सं0	रोकड़ बही का पृष्ठ सं0 एवं दिनांक	रोकड़बही का वास्तविक योग	रोकड़बही में दर्शाया गया योग	अंतर राशि (₹में)
1	पृष्ठ –79 (Vol-II) 12.03.10	43,488.00	42,597.00	891.00
2	पृष्ठ –96 (Vol-II) 28.03.10	41,440.00	38,540.00	2,900.00
			योग –	**3,791.00**

अर्थात् ₹3791.00 रोकड़पाल श्री नुरूल अब्बिया द्वारा निगम कोष में कम जमा किया गया।

(ii) रोकड़पाल श्री नुरूल आम्बिया द्वारा दिनांक 12.03.10 को कुल ₹7842.00 प्राप्त किया गया था, किन्तु रोकड़पाल द्वारा मात्र ₹7822.00 जमा किया गया था। अर्थात् निगम कोष में ₹20.00 कम जमा किया गया था।

(iii) रोकड़पाल रोकड़बही के पृष्ठ सं0 – 203 (Vol-I) का योग ₹8357.00 था। इस राशि को पृष्ठ सं0 – 204 पर अग्रसारित करने पर ₹8337.00 लिया गया था। अर्थात गलत राशि अग्रसारित करने के कारण ₹20.00 निगम कोष में कम जमा हुआ।

(iv) श्री नुरूल आम्बिया, रोकड़पाल द्वारा विविध रसीद सं0 – 8309 द्वारा ₹500.00 प्राप्त किया गया था, लेकिन इस राशि के विरूद्ध उनके द्वारा मात्र ₹125.00 जमा किया गया था। अर्थात् श्री आम्बिया द्वारा ₹375.00 कम जमा किया गया था।

अतः रोकड़पाल से उपरोक्त कारणों से कम जमा राशि ₹4206.00 (3721 +20+20+375) की वसूली कर निगम कोष में जमा किया जाए।

13. **बाजार अनुज्ञप्ति शुल्क की वसूली में गंभीर अनियमितताएँ**

बाजार अनुज्ञप्ति शुल्क रसीद एवं संबंधित दैनिक संग्रह पंजी के जॉच में पाया गया कि कई रसीद रद्द किये गये थे। इनमें से कुछ रसीद ऐसे थे, जिन्हें रसीद बही में रद्द नहीं किया गया था, लेकिन दैनिक संग्रह पंजी में इन्हें रद्द दर्शाया गया था। इसके अतिरिक्त कुछ रसीद ऐसे भी पाये गये, जिन्हें रद्द किया गया था, लेकिन इसकी राशि निगम कोष में जमा पायी गयी जिसका विवरण परिशिष्ट –**VI** पर दिया गया है। यह अनियमितता मुख्यतः श्री राजा राम, तहसीलदार द्वारा काटे गये रसीदों में पाया गया। इस प्रकार से रद्द किये गये रसीदों में निगम कोष की हानि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः निगम प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि इन रसीदों की जॉच कर प्रतिवेदन से इस कार्यालय को भी अवगत कराया जाए।

इसके अतिरिक्त बाजार अनुज्ञप्ति शुल्क रसीद की जॉच में निम्न अनियमितताएँ पायी गयीं –

(i) बाजार अनुज्ञप्ति शुल्क रसीदों की जॉच दैनिक संग्रह पंजी से करने पर पाया गया कि श्री राजा राम द्वारा ₹17,334.00 तथा श्री सुनील राम तहसीलदार द्वारा ₹29,680.52 वसूल की गयी राशि निगम कोष में जमा नहीं की गयी थी, जिसका विवरण परिशिष्ट – VII पर दिया गया है। वसूली की राशि छः माह से अधिक अवधि तक उनके द्वारा अपने पास रखी गयी थी। अतः दोनों व्यक्तियों से कमश ₹2456.00 तथा ₹2226.00 दंडात्मक ब्याज (10% की दर से) की भी वसूली कर कुल राशि ₹51,696.52 निगम कोष में जमा किया जाए।

(ii) बाजार अनुज्ञप्ति शुल्क रसीदों के दैनिक संग्रह पंजी के जोड़ों की जॉच करने पर पाया गया कि श्री सुनील राम द्वारा ₹16,340.50 तथा श्री राजा राम द्वारा ₹2408.14 जोड़ों में गलती के कारण निगम कोष में कम जमा किया गया था, जिसका विवरण परिशिष्ट – VIII पर दिया गया है। दोनों व्यक्तियों द्वारा वसूली की राशि रखने की प्रवृत्ति पायी गयी है। अतः दोनों व्यक्तियों से कमशः ₹1634.00 तथा ₹281.00 दण्डात्मक ब्याज की भी वसूली कर कुल राशि ₹20,663.64 निगम कोष में जमा किया जाए।

(iii) श्री राजा राम द्वारा संधारित बाजार अनुज्ञप्ति शुल्क रसीद के संग्रह पंजी की जॉच में पाया गया कि रसीद सं0 – 3463 दिनांक 25.11.09 द्वारा ₹11,000.00 प्राप्त किया गया था, जिसमें से ₹4600.00 दिनांक 27.11.09 को जमा कर दिया गया था। शेष राशि ₹6,400.00 के स्थान पर मात्र ₹4600.00 ही पृष्ठ सं0 – 23 पर अग्रसारित कर जमा किया गया था। अर्थात ₹1800.00 कम जमा किया गया था। अतः राशि ₹1800.00 की वसूली श्री राजा राम से कर निगम कोष में जमा किया जाए।

(iv) बाजार अनुज्ञप्ति शुल्क रसीद के दैनिक संग्रह पंजी के जॉच में पाया गया कि वसूलकर्त्ताओं द्वारा वसूली की राशि से आंशिक राशि जमा की जा रही थी तथा शेष राशि अगले पृष्ठ पर अग्रसारित की जा रही थी। इस कम में कुल राशि ₹37,376.22 को अग्रसारित नहीं करने के कारण जमा नहीं किया गया था, जिसका विवरण परिशिष्ट – IX पर दिया गया है। इस राशि में से ₹22,514.22 श्री सुनील राम द्वारा तथा ₹14,862.00 श्री राजा राम द्वारा जमा नहीं किया गया था। इन दोनों व्यक्तियों द्वारा निगम कोष की राशि अपने पास रखने की प्रवृत्ति थी। अतः दोनों व्यक्तियों से कमशः

(394)

₹2251.00 तथा ₹1486.00 दण्डात्मक ब्याज सहित कुल राशि ₹41,113.22 की वसूली कर निगम कोष में जमा किया जाए।

(v) बाजार अनुज्ञप्ति शुल्क रसीद के दैनिक संग्रह पंजी से रोकड़पाल रोकड़बही के मिलान में पाया गया कि निम्न राशियों को जमा नहीं किया गया था:–

क0 सं0	दैनिक संग्रह पंजी के अनुसार जमा की जाने वाली राशि	रोकड़पाल रोकड़ बही में जमा राशि	कम जमा राशि (₹में)	दैनिक संग्रह पंजी का पृष्ठ एवं दिनांक
1	1100.00	1000.00	100.00	पृष्ठ सं0 14 30.07.09 श्री सुनील राम
2	1600.00	1500.00	100.00	पृष्ठ सं0 16 08.08.09 श्री सुनील राम
3	20,080.00	शुन्य	20,080.00	पृष्ठ सं0 24 08.10.09 श्री सुनील राम
4	2917.56	शुन्य	2917.56	पृष्ठ सं0 32 16.01.10 श्री सुनील राम
5	2790.00	2770.00	20.00	पृष्ठ सं0 5 02.09.09 श्री राजा राम
6	5220.00	5020.00	200.00	पृष्ठ सं0 23 14.12.09 श्री राजा राम
योग	**33,707.56**	**10,290.00**	**23,417.56**	

अतः कम जमा राशि ₹23197.56 तथा ₹220.00 कमशः श्री सुनील राम एवं श्री राजा राम से वसूलकर निगम कोष में जमा किया जाए। साथ हीं श्री सुनील राम एवं श्री राजा राम से दंण्डात्मक ब्याज कमश ₹2706.00 तथा ₹28.00 की भी वसूली कर निगम कोष में जमा किया जाए। अर्थात् कुल राशि ₹26,151.56 की वसूली कर निगम कोष में जमा किया जाए।

14. वसूली की राशि विलंब से जमा किया जाना

बिहार नगरपालिका लेखा नियम, 1928 के नियम 20 के अनुसार नगरपालिका प्रशासन को यह सुनिश्चित करना है कि नगरपालिका कर्मियों द्वारा वसूल की गयी राशि अविलंब नगरपालिका कोष में जमा किया जाए।

नगर निगम, दरभंगा के कर्मियों द्वारा वसूल की गयी राजस्व की जॉच में पाया गया कि कई मामलों में वसूल की गयी राशि को काफी विलंब से निगम कोष में जमा किया गया था, जिसे नीचे दिया गया है –

(i) श्री राजा राम, कर संग्रहकर्त्ता द्वारा भवन कर की वसूल की गयी राशि ₹9170.00को लगभग 1½ से 2 वर्षों विलंब से अंकेक्षण के दौरान निगम कोष में जमा किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार है –

क0 सं0	भवन कर रसीद सं0 एवं दिनांक	वसूली गई राशि (₹में)	रोकड़पाल रोकड़ बही में जमा की तिथि
1	25205 / 08.05.09	1224.00	17.02.11
2	25234 / 02.06.09	2672.00	,,
3	25262 / 25.06.09	48.00	,,
4	25263 / 26.06.09	1240.00	18.02.11
5	25264 / ,,	216.00	,,

6	25265 / 28.06.09	248.00	"
7	25266 / 29.06.09	140.00	"
8	25267 / 28.06.09	72.00	"
9	25268 / 29.06.09	78.00	"
10	25269 / 30.06.09	224.00	"
11	25270 / 30.06.09	1460.00	"
12	25271 / "	1548.00	"
	योग –	9170.00	

इतने लंबे अवधि तक नगद राशि हाथ में रखना नियम के विरूद्ध है। अतः श्री राजा राम से दण्डात्मक ब्याज दर से राशि ₹1452.00 की वसूली कर निगम कोष में जमा किया जाए।

(ii) बाजार अनुज्ञाप्ति शुल्क रसीद से वसूल की गयी राशि में से श्री राजा राम द्वारा ₹51,409.00 एवं श्री सुनील राम द्वारा ₹65,847.00 (45477 + 20370) वसूली की तिथि से लगभग एक से 1½ वर्षों के उपरांत अंकेक्षण के दौरान जमा की गयी थी जिसका विवरण परिशिष्ट – X पर दिया गया है। दोनों व्यक्तियों द्वारा वसूली की राशि का उपयोग स्वयं के लिए किया गया था। अतः दोनों व्यक्तियों से क्रमशः ₹4,712.00 तथा ₹6036.00 दण्डात्मक ब्याज की वसूली कर निगम कोष में जमा किया जाए।

(iii) श्री मु0 हसन, रोकड़पाल द्वारा विविध रसीद सं0 3535 दिनांक 02.05.09 के द्वारा नक्शा परमिट शुल्क/भूमि विकास शुल्क के रूप में ₹12,500.00 प्राप्त किया गया था, जिसे अंकेक्षण के दौरान दिनांक 04.03.11 को निगम कोष में जमा किया गया था। इस राशि को रोकड़पाल द्वारा 10 माह तक अपने पास रखा गया था। अतः उनसे ₹2,188.00 दण्डात्मक ब्याज के रूप में वसूल कर निगम कोष में जमा किया जाए।

15. वसूली की राशि को निरंतर हाथ में रखना

बिहार नगरपालिका लेखा नियम, 1928 के नियम 20 के अनुसार नगर पालिका प्रशासन को यह सुनिश्चित करना है कि नगरपालिका कर्मियों द्वारा वसूल की गयी राशि अविलंब नगरपालिका कोष में जमा किया जाए।

बाजार अनुज्ञप्ति शुल्क रसीद की जॉच दैनिक संग्रह पंजी से करने पर पाया गया कि श्री राजा राम द्वारा वसूली की राशि निरंतर अपने हाथ में रखा गया था। वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान श्री राम द्वारा प्रतिदिन लगभग 2.50 लाख से 3.00 लाख रूपये अपने हाथ में रखा जा रहा था, जिसका विवरण परिशिष्ट – XI पर दिया गया है।

श्री राम द्वारा इस राशि का उपयोग अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए किया गया था। अतः इनसे दण्डात्मक ब्याज के रूप में ₹32,746.00 की वसूली कर निगम कोष में जमा किया जाए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो।

16. बाजार अनुज्ञप्ति शुल्क की तीन रसीद बुक प्रस्तुत नहीं

बाजार अनुज्ञप्ति शुल्क रसीदों की जॉच भंडार पंजी से करने पर पाया गया कि दिनांक 09.01.10 को श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव, बाजार प्रभारी को रसीद सं0 4001 से 4300 (तीन रसीद बुक) निर्गत किया गया था। इन रसीद बुकों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इन रसीदों को अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

(392)

17. भवन कर (होल्डिंग टैक्स)

नगर निगम, दरभंगा में भवन कर से संबंधित मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था। इसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि 31.03.10 को भवन कर के रूप में कितनी राशि वसूली जानी शेष थी।

निगम कार्यालय के राजस्व शाखा द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 से संबंधित होल्डिंग टैक्स की मॉग एवं वसूली की विवरणी अंकेक्षण में प्रस्तुत की गयी, जिसे परिशिष्ट –XII में सलंग्न किया गया है। विवरणी के अनुसार मॉग एंव वसूली की स्थिति निम्नलिखित है:–

		वसूली का प्रशित
बकाया मॉग	10,96,97,636.00	
चालू मॉग	22399252.00	
कुल मॉग	132096888.00	
बकाया वसूली	26980275.79	24.6%
चालू वसूली	6310161.02	28.17%
कुल वसूली	33290436.81	25.20%
अवशेष राशि	9,88,06,451.19	

उपरोक्त ऑकड़ों से स्पष्ट है कि नगर निगम कार्यालय द्वारा वसूली में शिथिलता बरती गयी थी। चालू वर्ष की वसूली का प्रतिशत मात्र 28.17 था, जबकि कुल वसूली का प्रतिशत 25.20 था। नगर निगम द्वारा न्यूनतम 85% वसूली कार्य किया जाना चाहिए था, जिसके विरूद्ध वसूली बहुत हीं कम हुई।

नगर निगम द्वारा प्रत्येक पॉच वर्षों में होल्डिंग टैक्स का पुनर्निर्धारण किया जाना है। लेकिन दरभंगा नगर निगम द्वारा इसे पॉच वर्षों में पुनर्निर्धारित नहीं किया गया था। निगम कार्यालय द्वारा बतलाया गया कि करो का अंतिम पुनर्निर्धारण 1998 में हुआ था अर्थात् निगम द्वारा अब तक करों को दो बार पुनर्निर्धारित किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया था। करों को पुनर्निर्धारित नहीं किये जाने से नगर निगम को बहुत बड़ी राशि की हानि हो रही थी। निगम द्वारा करों को पुनर्निर्धारित नहीं किये जाने का कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।

नगर निगम प्रशासन को यह सुझाव दिया जाता है कि भवन कर का शीघ्र पुनर्निर्धारण किया जाय। साथ हीं, वसूली का प्रतिशत बढ़ाने हेतु प्रभावशाली कदम उठाये जायें एवं बकाया राशि ₹9,88,06,451.19 संबंधित भवन मालिकों से वसूल किया जाए।

18. शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि सरकारी कोष में जमा नहीं

बिहार प्राथमिक शिक्षा उपकर अधिनियम 1959 एवं बिहार स्वास्थ्य उपकर नियमावली 1972 के प्रावधानों के अनुसार शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की वसूली गई राशियों में से 10 प्रतिशत राशि वसूली चार्ज के रूप में काटकर शेष 90 प्रतिशत राशि सरकारी कोष में जमा किया जाना है। लेकिन नगर निगम, दरभंगा द्वारा इस शीर्ष का ₹83,17,899.19 सरकारी कोष में जमा नहीं किया गया। इसका विवरण निम्नलिखित है।

वर्ष	शिक्षा उपकर की वसूल की गयी राशि (₹)	स्वास्थ्य उपकर की वसूल की गयी राशि (₹)	अभियुक्ति
2009–10	46,21,666.47	46,20,443.72	निगम कार्यालय द्वारा प्रस्तुत विवरणी के आधार पर
घटाव 10% वसूली शुल्क	4,62,167.00	4,62,044.00	

सरकारी कोष में जमा की जाने वाली राशि	41,59,499.47	41,58,399.72	

इस राशि को सरकारी कोष में जमा न किये जाने का कारण अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया।

19. विज्ञापन पर कर

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 127 में नगरपालिका को करों की वसूली की शक्ति प्रदान की गयी है। इस अधिनियम की धारा 127 (च) में यह प्रावधान किया गया है कि नगरपालिका को समाचार पत्रों में प्रकाशित सामग्री के अतिरिक्त विज्ञापन पर कर लगाने एवं वसूल करने की शक्ति होगी। इसके साथ ही, इस अधिनियम की धारा 147 (i) में प्रावधान किया गया है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी भूमि, भवन, दीवार, प्रचार पटल, ढॉचा, स्तम्भ, छतरी इत्यादि पर या उपर किसी विज्ञापन का परिनिर्माण, प्रदर्शन या प्रतिधारित करता है अथवा हवाई अड्डा या बंदरगाह या रेलवे स्टेशन सहित नगरपालिका क्षेत्र में पड़ने वाले सार्वजनिक गली या स्थल से जन सामान्य किसी विज्ञापन का प्रदर्शन करता है तो प्रत्येक विज्ञापन जिसका इस प्रकार परिनिर्माण, प्रदर्शन नियत, धारण या लोकदृष्टि में प्रदर्शन किया गया हैं के लिए विनियमों द्वारा यथानिर्धारित दर पर परिगणित कर भुगतान करेगा।

नगर निगम, दरभंगा के स्वयं के स्त्रोतों से प्राप्त राजस्व की जॉच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2009–10 में निगम को विज्ञापन पर कर मद में मात्र ₹21,852.00 प्राप्त हुए हैं, जो इस मद में प्राप्त हो सकने वाली राशि की तुलना में नगण्य हैं। दरभंगा नगर निगम काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ नगर है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे होर्डिंग्स लगाये गये हैं। लेकिन विज्ञापन पर कर मद में प्राप्ति से स्पष्ट होता है कि नगर निगम द्वारा इस मद में करारोपण में उदासीनता बरती गयी, जिससे निगम को इस मद में प्राप्त होने वाले राजस्व की हानि हुयी।

विज्ञापन पर करों से प्राप्ति वर्तमान परिदृश्य में काफी बड़ी रकम होती है। इस मद में इतनी कम वसूली का कारण लेखा परीक्षा में नहीं बतलाया गया।

नगर निगम प्रशासन को यह सुझाव दिया जाता है कि इस मद में राजस्व बढ़ाने हेतु समुचित कदम उठाये जाये।

20. आपत्तिजनक एवं खतरनाक व्यवसाय

नगर निगम द्वारा आपत्तिजनक एंव खतरनाक व्यवसाय की मॉग एवं वसूली पंजी संधारित नहीं की गई थी। निगम कार्यालय द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2009–10 में इस व्यवसाय के मॉग एवं वसूली की स्थिति निम्न प्रकार थी –

	राशि (₹)
बकाया मॉग	566806.00
चालू मॉग	83262.00
कुल मॉग	650068.00
बकाया वसूली	9744.00
चालू वसूली	17629.00
कुल वसूली	27373.00
राशि मॉग	6,22,695.00

(390)

उपरोक्त ऑकड़े स्पष्ट करते हैं कि निगम कार्यालय द्वारा आपत्तिजनक एंव खतरनाक व्यवसाय की वसूली में काफी शिथिलता बरती गयी थी तथा मात्र 4.21% राशि की वसूली ही पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान की गयी थी। नगर निगम के चालू मॉग की राशि भी काफी कम प्रतीत होती है। अतः निगम प्रशासन को इस व्यवसाय से प्राप्त होने वाले राजस्व के वृद्धि पर ध्यान दिया जाना चाहिए तथा वसूली के प्रतिशतता को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही बकाया राशि ₹6,22,695.00 की वसूली व्यवसायियों से कर निगम कोष में जमा किया जाए।

21. पेशाकर

नगर निगम में पेशाकर के मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण नही किया गया था। निगम कार्यालय द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2009–10 में मॉग एवं वसूली की स्थिति निम्न प्रकार थी।

	राशि (₹)
बकाया मॉग	3,94,914.00
चालू मॉग	54,750.00
कुल मॉग	4,49,664.00
बकाया वसूली	93,190.00
चालू वसूली	54,750.00
कुल वसूली	1,47,940.00
राशि मॉग	3,01,724.00

उपरोक्त ऑकड़ों से स्पष्ट है कि निगम कार्यालय द्वारा वसूली में शिथिलता बरती गयी थी तथा मात्र 32.90% राशि की वसूली हीं वित्तीय वर्ष के दौरान की गयी थी।

चालू मॉग की राशि से प्रतीत होता है कि नगर निगम द्वारा पेशाकर के अंत्तर्गत निगम क्षेत्र में कार्य कर रहे सभी पेशाकर व्यक्तियों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। निगम कार्यालय द्वारा मॉग तैयार करने में सभी व्यवसाय, जो नियमानुकुल इसके अंतर्गत आते हैं, को सम्मिलित किया जाना चाहिए तथा बकाया शेष राशि ₹ 3,01,724.00 की वसूली संबंधित व्यक्तियों से कर निगम कोष में जमा किया जाए।

22. बकाया दुकान किराया

नगर निगम कार्यालय में दुकानों की मॉग एवं संग्रहण पंजी का संधारण नहीं किया गया था, जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं किया जा सका कि निगम की दुकानों पर 31.03.10 तक कितना किराया बाकी है। इसके अतिरिक्त निगम कार्यालय द्वारा परिसंपत्ति पंजी का भी संधारण नहीं किया गया था, जिसके कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि निगम के पास कुल कितने स्थलों पर दुकान अवस्थित हैं तथा उनमें से कितने दुकानों से किराया की वसूली की जा रही है।

निगम कार्यालय द्वारा दुकान किराया से संबंधित विवरणी अंकेक्षण में प्रस्तुत की गयी, जिसके अनुसार निगम में कुल 13 स्थलों पर मार्केट थे जिनमें 446 दुकानें थी, जिनपर 31.03.10 तक विवरणी के अनुसार कुल ₹67,57,853.84 का किराया बकाया था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है –

क्र0 सं0	मार्केट अथवा स्थल का नाम	दुकानों की सं0	31.03.10 तक बकाया किराया (₹)
1	बी0के0 रोड, लहेरियासराय	72	3,01,885.00
2	बी0के0 रोड, साईड लैण्ड	37	70,799.00
3	धरणीधर पथ, लहेरियासराय	33	9,07,940.50
4	राजेन्द्र मार्केट, लहेरियासराय	69	40,14,593.35
5	राजेन्द्र मार्केट, रोडसाईड लैण्ड, लहेरिया सराय	31	2,86,624.89
6	कमला नेहरू पुस्तकालय, लहेरियासराय	12	1,09,200.00
7	ओभेल मार्केट दरभंगा	20	49,579.55
8	नवनिर्मित मार्केट, दरभंगा	06	1,18,256.25
9	नगरपालिका बाजार, दरभंगा	23	42,390.50
10	रिफ्यूजी मार्केट, दरभंगा	40	3,06,403.30
11	भगत सिंह, मार्केट	11	46,162.75
12	रोड साईड लैंउ, दरभंगा	18	41,675.75
13	एकता मार्केट	74	4,62,343.00
	योग –	446	67,57,853.84

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट – XIII पर दिया गया है।)

इन दुकानों के आवंटन से संबंधित संचिकाएँ अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गयी, जिसके अभाव में किराया पुनर्निर्धारण की शर्त्त ज्ञात नहीं हो सकी। प्रस्तुत विवरणी से ज्ञात हुआ कि वर्तमान किराया की दर अप्रैल, 97 से लागू है तथा 13 वर्षों से किराये के दर में वृद्धि नहीं की गयी है। इसके कारण निगम को इस मद से प्राप्त होने वाले राजस्व में काफी हानि हो रही थी।

अतः निगम प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि जिन दुकानों पर काफी लंबे समय से किराया बाकी है, जिसका उदाहरण नीचे दिया गया है, की वसूली के लिए गंभीर प्रयास किये जायें।

क्र0 सं0	दुकान सं0	दुकानदार का नाम	बकाया अवधि (माह में)	मार्केट का नाम
1	2	श्री अबू मोहम्मद	206	बी0के0 रोड लहेरियासराय
2	4	श्री अशोक कुमार नायक	256	
3	58	श्री चिरंजीव चौधरी	242	
4	26	श्री सुनीता पूर्व	141	राजेन्द्र मार्केट, लहेरियासराय

इस तरह के कई दुकानों पर 10 वर्षों से अधिक समय से किराया बकाया है।

निगम कार्यालय द्वारा किराया वसूली में शिथिलता बरती गयी थी, जिसके कारण ₹67.58 लाख का किराया दुकानदारों के पास बकाया था। इस बकाया किराया ₹67,57,853.84 की वसुली संबंधित दुकानदारों से कर निगम कोष में जमा किया जाए।

23. मोबाईल टावर

नगर निगम, दरभंगा में मोबाईल टावर से संबंधित मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि 31 मार्च 2010 तक कुल बकाया मॉग कितनी थी तथा इस वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी राशि वसूल की गयी थी। मोबाईल टावर से संबंधित संचिकाओं की जॉच में पाया गया कि निगम कार्यालय द्वारा सिर्फ अनापत्ति

प्रमाण पत्र निर्गत करते समय प्रति टावर प्रति मीटर ₹2000.00 के दर से शुल्क वसूला गया था। जबकि बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 82 दिनांक 27.01.08 के द्वारा सभी नगर आयुक्तों एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों को सूचित किया गया था कि प्रत्येक टावर से ₹ 2000.00 प्रति मीटर प्रति वर्ष की दर से शुल्क वसूली किया जाना है।

नगर निगम कार्यालय द्वारा मोबाईल टावरों से शुल्क वूसली में शिथिलता बरती गयी थी तथा आवश्यक पंजियों का संधारण भी नहीं किया गया था। अंकेक्षण में प्रस्तुत संचिकाओं से ज्ञात हुआ कि 31 मार्च 2010 तक विभिन्न कंपनियों के 57 मोबाईल टावर निगम क्षेत्र में स्थित थे, जिनके पास मोबाईल शुल्क के रूप में कुल ₹ 54,98,000.00 बकाया था, जिसका विवरण परिशिष्ट XIV पर सलग्न किया गया है।

निगम कार्यालय द्वारा एयर टेल कंपनी के 7 मोबाईल टावरों, जिनकी स्थापना वित्तीय वर्ष 2007–08 में हुयी थी, में से सिर्फ 02 टावरों का शुल्क जमा करने के लिए मॉग पत्र सं0 1725 दिनांक 20.12.07 को निर्गत किये गये थे तथा शेष 05 टावरों से शुल्क वसूली के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था। इसी प्रकार वोडाफोन के 10 टावर वित्तीय वर्ष 2008–09 में स्थापीत किये गये थे, जिन्हें मॉग पत्र सं0 1284 दिनांक 17.09.08 को निर्गत किया गया था तथा उसके उपरांत कोई नोटिस इत्यादि उन्हें निर्गत नहीं किया गया था। अर्थात् निगम कर्मियों द्वारा मोबाईल कंपनियों से शुल्क वसूली के लिए अपेक्षित प्रयास नहीं किये गये थे, जिससे निगम लगभग ₹55.00 लाख के राजस्व से वंचित रह गया। अतः मोबाईल कंपनियों से ₹ 54,98,000.00 वसूल कर निगम कोष में जमा किया जाय।

नगर निगम, दरभंगा में मोबाइल टावर जिस स्थल अथवा भवन पर स्थित है, से कोई शुल्क वसूली नहीं किया जा रहा था। इस संबंध में बतलाया गया कि निगम बोर्ड द्वारा इस संबंध में कोई शुल्क अधिरोपित नहीं किया गया था। सामान्यतः अन्य नगर निगमों यथा पटना गया इत्यादि में स्थल अथवा भवन मालिको से कमशः ₹ 5000.00 तथा ₹ 6000.00 प्रतिवर्ष के दर से अधिरोपित/ वसूल किये जा रहे हैं। अतः निगम प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि निगम कोष के राजस्व वृद्धि के लिए इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही की जाए।

24. सैरात की बंदोबस्ती

नगर निगम, दरभंगा में परिसपत्ति पंजी का संधारण नहीं किया गया था, जिससे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निगम में कुल कितने सैरात थे। सैरात पंजी अंकेक्षण में प्रस्तुत की गयी जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2009–10 में कुल 10 सैरात नगर निगम के पास थे, जिसमें से 7 सैरातों की बंदोबसती निगम कार्यालय द्वारा की गयी थी। लोकसभा चुनाव 2009 के कार्यक्रम की घोषणा के कारण दिनांक 02.03.09 को आदर्श आचार संहिता के कारण सैरातो की बंदोबस्ती दो अवधि (01.04.09 से 30.06.09 तथा 01.07.09 से 31.03.10) में किया गया था।

तीन सैरातें " पॉलिटेकनीक चौक से बैंदराबाद चौक होते हुए शिवधारा चौक तक अस्थायी दुकान से टॉल बंदोवस्ती", " सराय सत्तार खॉ वार्ड सं0 32 पुराना कब्रिस्तान में आम के फल का बंदोबस्ती" तथा " महाराजगंज में आम फलों की बंदोबस्ती" नहीं की गयी थी। अस्थायी दुकान की विभागीय वसूली श्री सुनील राम, तहसीलदार को दिया गया था तथा आम के फलों की बंदोबस्ती नहीं हुयी थी। सैरातों की बंदोबस्ती वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पूर्व हीं करा लिया जाना चाहिए था, लेकिन इसके लिए निगम प्रशासन द्वारा कारवाई नहीं की गयी थी तथा प्रकिया का प्रारंभ काफी विलंब

से किया गया था। जिसके कारण निगम को लगभग ₹80,000 की हानि हुयी (पूर्व वर्ष में बंदोबसत की गयी राशि के आधार पर)।

अतः इस हानि की भरपाई जिम्मेवार व्यक्तियों से ₹80,000 वसूल कर की जाय तथा यह राशि निगम कोष में जमा की जाय।

श्री सुनील राम, तहसीलदार तथा श्री राजा राम तहसीलदार द्वारा विभागीय वसूली का लेखा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया लेखा परीक्षा के दौरान यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि बंदोबस्ती की प्रकिया वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पूर्व क्यों नहीं पूरी की गयी।

25. सैरातो के बंदोबस्ती का एकरारनामा स्टाम्प पेपर पर नहीं कराये जाने से राजस्व की हानि

मुख्य सचिव, बिहार सरकार के पत्रांक 1920/आर0सी0/सी0एस0 दिनांक 14.08.02 तथा सचिव सह आई0जी0 पंजीकरण, बिहार के पत्रांक 549 दिनांक 15.03.05 के आलोक में सैरातों की बंदोबस्ती का एकरारनामा स्टाम्प पेपर पर किया जाना है तथा बंदोबस्तीधारी को बंदोबस्ती की राशि का 3% के बराबर मुद्रांक शुल्क जमा किया जाना है।

नगर निगम, दरभंगा के सैरातों की संचिकाओं के जॉच में पाया गया कि सैरातों की बंदोबस्ती का एकरारनामा स्टाम्प पेपर पर नहीं किया गया था, जिसके कारण सरकार को ₹87,927.00 के मुद्रांक शुल्क की हानि हुयी, जिसका विवरण परिशिष्ट XV पर सलंग्न किया गया है। बंदोबस्ती का एकरारनामा स्टाम्प पेपर पर नहीं किये जाने का कारण अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया। इस हानि की वसूली जिम्मेवार व्यक्तियों से कर निगम कोष में जमा किया जाय।

26. नगर निगम द्वारा योजनाओं की राशियों का उपयोग नहीं

नगर निगम कार्यालय के अनुदान पंजी की जॉच में पाया गया कि सरकार द्वारा दिये गये निम्नलिखित अनुदानों से निगम कार्यालय द्वारा मार्च, 10 तक कोई योजना चयनित नहीं किया गया था।

क0 सं0	पत्रांक सं0 /दिनांक	अनुदान का प्रयोजन	प्राप्त राशि (₹)
1	म0वि0वि0 एवं आ0वि0 पटना 492/21.02.06	नागरिक सुविधा एवं अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु	40,00,000.00
2	887/26.08.08	NOIS & NUDS & I	4,02,500.00
3	3775/15.07.08	नालों के निर्माण की योजना हेतु प्राप्त सहाय्य अनुदान	2,17,68,000.00
4	07/09.02.09	दरभंगा नगर निगम के प्रशासनिक एवं तकनीकि भवन निर्माण हेतु प्राप्त सहाय्य अनुदान	50,00,000.00
		योग –	3,11,70,500.00

उपरोक्त राशि निगम के पास एक से चार वर्षों तक बाधित रखा गया था तथा निगम द्वारा इससे कोई योजना कियान्वित नहीं करायी गयी थी। क0 सं0 1, 2 एवं 4 की राशि मार्च 11 तक अव्यवहृत थी तथा निगम कार्यालय द्वारा इसके विरूद्ध कोई कार्य चयनित नहीं किया गया था। योजनाओं के चयन एवं कियान्वयन नहीं कराये जाने का कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त निम्न योजना मद की राशि का चार वर्षों में आंशिक उपयोग किया गया था तथा शेष राशि मार्च 10 तक अव्यवहृत पड़ी हुयी थी –

क्र0 सं0	पत्रांक/ दिनांक	अनुदान का प्रयोजन	प्राप्त/शेष राशि (लाख ₹ में)
1	470/न0वि0वि0, पटना/18.02.06	पेय जलापूर्ति, सिवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं अन्य विभिन्न योजनाएँ (मास्टर प्लान)	10/6.02
2	475/न0वि0वि0, पटना/ 18.02.06	नाला निर्माण तथा सफाई एवं स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत माशीनों/उपकरणों के क्रय हेतु	300/119.09

इन राशियों का उपयोग नहीं किये जाने का कारण अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया।

27. **हसन चौक से आयकर चौराहा पी0सी0सी0 सड़क निर्माण में अनियमितता – 37.77 लाख**

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पत्रांक 5ब/योजना –8–03/09/335 दिनांक 12.02.09 द्वारा नगर निगम, दरभंगा द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली 17 योजनाओं की स्वीकृति दी गई, जिसमें क्रम संख्या 1 पर मुहल्ला हसन चक से आयकर चौक तक सीमेंट कंक्रीट पथ निर्माण का कार्य शामिल था जिसकी प्राक्कलित राशि 42.577 लाख की स्वीकृति विभाग द्वारा दी गई थी।

उपलब्ध करायी गयी संचिका में उपलब्ध तुलनात्मक विवरणी जिसमे यह वर्णित था कि कार्यालय पत्रांक 433/716 दिनांक 26.02.09/19.05.09 द्वारा आयोजित निविदा के तकनीकी बीड/दर के आधार पर श्री गिरधारी पोद्दार, संवेदक के निविदा (11% कम पर) को स्वीकृत किया गया तथा उन्हें कार्य करने का आदेश दिया गया जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है

1	कार्य आवंटन	पत्रांक 1540 दिनांक 06.08.09
2	संवेदक	श्री गिरधारी लाल पोद्दार मु0 लालबाग दरभंगा
3	प्राक्कलन सं0	02/09–10
4	प्राक्कलित राशि	₹ 43,37,623/–
5	एकरारनाम की राशि	₹ 38,60,484 (प्रा0 राशि से 11% कम)
6	तृतीय एवं अंतिम विपत्र की राशि एवं तिथि	₹ 4243421, 14.10.09
7	कार्य पूर्ण होने की तिथि	06.10.09
8	मापी पुस्त	01/09–10 अनुपलब्ध
9	संवेदक को भुगतान	
	प्रा0 राशि	4337623
	एकारारनामा की राशि	3860484
	अंतिम विपत्र के अनुसार कुल कार्य	4243421
	एकरारनामा के अनुसार 11% कम	466776
	भुगतेय राशि	3776645
	भुगतान की गयी राशि	3776645
10	गुणवत्ता प्रमाण पत्र	अनुपलब्ध

संवेदक द्वारा ₹ 4243421 का अंतिम विपत्र समर्पित किया गया, जबकि भुगतान ₹ 3776645 का मिला इस प्रकार, संवेदक को ₹ 466776/– का नुकसान हुआ। विदित हो कि संवेदक ने प्रा0 राशि से 11% कम पर कार्य करने

का एकरारनामा किया था जबकि भुगतान उससे भी कम मिला। स्पष्ट है कि संवेदक नुकसान सहकर कार्य नहीं किया होगा अर्थात् कार्य की विशिष्टता एवं गुणवत्ता संदिग्ध है। कार्य की गुणवत्ता की जॉच नगर निगम के अभियंता एवं सक्षम पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया था। इस योजना की मापी पुस्तक भी उपलब्ध नहीं करायी गयी।

अतः समुचित स्पष्टीकरण एवं गुणवत्ता से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करने तक किये गये कार्य को संदेह के घेरे में रखते हुए भुगतान की गई संपूर्ण राशि 37.77 लाख को आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

28. योजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब शुल्क की कटौती नहीं

वित्तीय वर्ष 2009–10 में पूर्ण एवं अंतिम भुगतान की गयी योजनाओं की संचिकाओं के नमूना जॉच में पाया गया कि एकरारनामा (फार्म सं0 F2) के पृष्ठ सं0 8 पर दी गयी संविदा के लिए शर्त्तों के शर्त्तानामा सं0 – 2 (clause 2 of the conditions of contract) के अनुसार संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में योजना को पूर्ण नहीं करने पर प्रतिदिन प्राक्कलन राशि का आधा प्रतिशत तथा अधिकतम 10 प्रतिशत विलंब शुल्क के रूप में कटौती की जानी थी। लेकिन पूर्ण एवं अंतिम भुगतान की गयी योजनाओं के विपत्रों के जॉच में पाया गया कि निम्न दो योजनाओं के अंतिम भुगतान से पूर्व विलंब शुल्क की कटौती नहीं की गयी थी –

क0 सं0	प्राक्कलन क0	योजना का नाम	एजेन्सी का नाम	कार्यादेश के अनुसार पूर्ण होने की तिथि	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	अंतिम मापी का मूल्य (₹)	विलंब शुल्क (₹)
1	14/09–10	मुहल्ला उर्दु में नीम चौक से इकबाल साहब के बॉय तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण	श्री कैश अहमद खॉ	25.11.09	10.01.10	15,52,172	155217
2	21/09–10	आदित्य प्रसाद पथ से मारवाड़ी कॉलेज एवं गंगासागर पूरब मिण्डा से डॉ एस0के0 जैन के घर के निकट तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण	श्री इन्द्रसागर	31.01.10	30.04.10	23,84,805	2,38,481
						योग –	3,93,698

विलंब शुल्क की कटौती अंतिम विपत्र से नहीं करने के कारण नगर निगम को ₹ 3,93,698.00 की हानि हुयी। इस हानि की वसूली भुगतान के जिम्मेवार व्यक्तियों से कर निगम कोष में जमा किया जाय।

29. एकल निविदा रद्द नहीं करने अथवा दर वार्ता नहीं करने का कारण ₹ 24,06,573 की हानि

वित्तीय वर्ष 2009–10 के योजना संचिकाओं के नमूना जॉच में पाया गया कि 13 योजनाओं के कियान्वयन की स्वीकृति एकल निविदा पर दी गयी थी। इन निविदाओं को रद्द कर पुनः निविदा आमंत्रित नहीं की गयी थी।

नगर निगम, दरभंगा के योजनाओं के कियान्वयन में देखा गया कि सामान्यतः प्रत्येक योजना के लिए 5 से 15 निविदायें प्राप्त हो रही थीं तथा निविदादाताओं द्वारा प्राक्कलित राशि से 15% कम दर पर कार्यों का संविदा प्राप्त किया जा रहा था। लेकिन इन 13 योजनाओं में कार्यालय द्वारा संवेदकों से दर वार्ता कर प्राक्कलित राशि से 15% कम पर संविदा नहीं की गयी थी, जबकि सभी कार्यों के लिए मानक प्राक्कलन में कार्यों का दर तथा कार्य की प्रकृति वही था, जो 15% कम दर पर स्वीकृत योजनाओं के लिए था अर्थात् एकल निविदा कार्यालय द्वारा स्वीकृत करने का कारण संवेदकों को ₹ 24,06,573 का लाभ हुआ, जिसका विवरण परिशिष्ट XVI पर संलग्न किया गया है।

इन योजनाओं का संविदा एकल निविदा पर कार्यालय द्वारा स्वीकृत करने के कारण इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि कार्यालय कर्मियों (निविदा स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी) द्वारा जान – बुझकर संवेदकों को लाभ पहुँचाया गया था। साथ हीं इस बात को भी बल प्रदान होता है कि इन योजनाओं में जान – बुझकर प्रतियोगी दर आमंत्रित नहीं की गयी, क्योकि एकल निविदा को रद्द कर पुनः निविदा आमंत्रित नहीं की गयी थी। कार्यालय के इस निर्णय से नगर निगम को ₹ 24,06,573.00 की हानि हुयी। अतः इस हानि के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों से यह राशि वसूल कर निगम कोष में जमा किया जाय।

30. **सी0एफ0एल0 क्रय की संचिका एवं अभिलेखों की प्रस्तुती नहीं**

नगर निगम द्वारा द्वादश वित्त की राशि से वित्तीय वर्ष 2009–10 में कुल 1149 पीस ऐ0एफ0एल0 क्रय किया गया था। जिसके लिए कुल ₹ 17,10,637.00 का भुगतान निम्न प्रकार किया गया था –

क्र0 सं0	भाउचर सं0	दिनांक	राशि (₹)	भुगतान का विवरण
1	1569	21.10.09	6,98,550.00	इलेक्ट्रीक वर्क्स दरभंगा को 470 पीस सी0एफ0एल0 बल्ब क्रय कर लगाने का विपत्र
2	1933	09.12.09	31,500.00	20 सेट सी0एफ0एल0 बल्ब लगाने के लिए
3	2003	18.12.09	2,37,449.00	चौधरी कम्यूनिकेशन को 159 पीस 85 वाट का सी0एफ0एल0 बल्ब आपूर्ति फिटिंग के साथ
4	2670	06.02.10	89,176.00	60 पीस सी0एफ0एल0 बल्ब लगाने का विपत्र
5	2671	,,	6,53,962.00	440 पीस सी0एफ0एल0 बल्ब लगाने का विपत्र
		योग –	**17,10,637.00**	

इसके अतिरिक्त भाउचर सं0 – 2266 दिनांक 08.01.10 के द्वारा अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क की राशि से 112 पीस 85 वाट के सी0एफ0एल0 के लिए ₹ 1,76,403.00 का भुगतान किया गया था। प्रति सी0एफ0एल0 लगाने का दर लगभग ₹ 1500.00 था। सी0एफ0एल0 की आवश्यकता का विवरण तथा इन्हें किन स्थानों पर लगाया गया, का विवरण अंकेक्षण में नहीं दिखलाया गया। इसके अतिरिक्त सी0एफ0एल0 क्रय से संबंधित संचिका, निविदा का विज्ञापन प्रकाशन, भंडार पंजी में प्रविष्टी तथा निर्गत एवं चयनित स्थल पर लगाने का सत्यापन इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इन अभिलेखों को अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाने तक सी0एफ0एल0 क्रय के लिए व्यय की गयी संपूर्ण राशि ₹ 1887040 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

31. **द्वादश वित्त की राशि से क्रय किये गये वाहनों, मशीनों इत्यादि के अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण नहीं**

नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 में द्वादश वित्त आयोग की राशि से ₹ 46,39,066.00 लाख के मशीनों वाहनों ट्रॉली इत्यादि की क्रय की गयी थी, जिसका विवरण परिशिष्ट – XVII पर दिया गया है।

इन वाहनों/मशीनों इत्यादि के क्रय से संबंधित अभिलेख/ संचिका, भंडार पंजी, लॉग बुक इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इन अभिलेखों को अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाने तक व्यय की गयी राशि ₹ 46,39,066.00 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

32. **नगर अभियंता कार्यालय द्वारा संचिकाओं की प्रस्तुती नहीं**

नगर निगम के रोकड़बही से किये गये भुगतानों की जॉच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2009–10 से पूर्व की 53 योजनाओं पर वित्तीय वर्ष 2009–10 में भुगतान किया गया था, जिसका विवरण परिशिष्ट XVIII पर सलंग्न किया गया है। इससे संबंधित संचिकाएँ, मापी पुस्तिका, एवं अभिलेख इत्यादि आवश्यक जॉच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

33. **द्वादश वित्त की राशि का विचलन नगर निगम के दायित्वों पर**

द्वादश वित्त अयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार इस राशि में से 50% राशि का उपयोग ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन पर जिसमें अपशिष्टों का संग्रहण, पृथकीकरण और परिवहन इत्यादि कार्य सम्मिलित है, पर किया जाना है। इसके अतिरिक्त 1% राशि का उपयोग नगर प्रबंधकों की क्षमता वृद्धि, 1 से 3 प्रतिशत ई– गवर्नेन्स में द्वैत प्रणाली के विकास एवं लेखा संधारण तथा शेष राशि का उपयोग नागरिक सुविधाओं/सेवाओं से संबंधित योजनाओं/कार्यकर्मों पर किया जाना है।

नगर निगम के रोकड़बही एवं अनुदान पंजी में दर्ज व्ययों की जॉच में पाया गया कि इस निधि में से ₹ 8,28,037.00 का व्यय नगर निगम द्वारा अपने दायित्वों को पुरा करने में किया गया था, जिसका विवरण परिशिष्ट – XIX पर दिया गया है।

नगर निगम का कर्त्तव्य है कि वह नगर की साफ/सफाई करवाये तथा उसे स्वच्छ बनाये और इसके लिए वह निगम क्षेत्र में स्थित भवनों एवं व्यक्तियों से विभिन्न करों की उगाही करती है, जिसे निगम निधि में रखा जाता है। निगम निधि से अथवा राज्य सरकार द्वारा इस मद में दिये जाने वाले सहायता अनुदानों (जो निगम निधि का भाग होता है) से ही निगम का दैनिक व्यय एवं स्थापना व्यय पूरा किया जाना है। लेकिन नगर निगम, दरभंगा द्वारा इस केन्द्र प्रयोजित योजना की राशि का उपयोग अपने दैनंदिनी व्यय में कर लिया गया था। इस व्यय की स्वीकृति संस्वीकृति दाता प्राधिकारी से प्राप्त किया जाए। तबतक विचलन की गयी राशि ₹ 8,28,037.00 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाए।

34. **सीटीजन ग्रिवान्स रिड्रेसल सेल की राशि का विचलन निगम के दायित्वों पर**

बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 377 दिनांक 05.06.09 के द्वारा दरभंगा नगर निगम के सीटीजन ग्रिवान्स रिड्रेसल सेल को प्रभावी बनाने एवं सूचारू रूप से संचालित करने के लिए ₹ 2,19,000.00 प्राप्त हुआ था। यह राशि तीन माह के अनुमानित व्यय के लिए दी गयी थी। इस राशि से भाड़े पर दो वाहन ₹ 1,050.00 प्रतिवाहन प्रतिदिन के दर से तीन माह में ₹ 1,89,000.00 का व्यय अनुमानित था तथा प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत फर्नीचर, स्टेशनरी, टेलीफैक्स आदि के लिए प्रतिमाह ₹ 10,000.00 की दर से कुल ₹ 30,000.00 का व्यय अनुमानित था।

निगम कार्यालय में सीटीजन ग्रिवान्स रिड्रेसल सेल का गठन किया गया था। इसके द्वारा संधारित शिकायत पुस्तिका की जॉच में पाया गया कि अधिकांश मामलों में शिकायतकर्त्ता का फोन सं0 दर्ज नहीं किया गया था। अधिकांश मामलो में कार्य का निष्पादन नहीं दर्शाया गया था, जिससे इसका निष्पादन संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। शिकायतों का निष्पादन किस व्यक्ति द्वारा कब किया गया इसकी सूचना पुस्तिका में नहीं दर्शायी गयी थी। नगर आयुक्त अथवा किसी

अन्य पदाधिकारी द्वारा शिकायत पुस्तिका की जॉच अथवा समीक्षा नहीं की गयी थी न ही शिकायतों के निष्पादन की मॉनिटरिंग की गयी थी। इससे स्पष्ट होता है कि मॉनिटरिंग सेल ठीक ढंग से कार्यरत नहीं था।

रोकड़बही एवं अनुदान पंजी की जॉच में पाया गया कि इस राशि में से मात्र ₹ 8450.00 (भाउचर सं0 895 दिनांक 10.08.09) से फैक्स मशीन की खरीद की गयी थी, जो ग्रिवान्स सेल में कार्यरत नहीं था तथा शेष राशि ₹ 2,04,754.00 का व्यय दैनिक सफाई मजदूरों तथा भाड़े के ट्रैक्टर पर किया गया था जिसका विवरण परिशिष्ट – XX पर दिया गया है। अर्थात् संपूर्ण राशि ₹ 2,13,204.00 का व्यय नगर निगम के दायित्वों पर किया गया था अर्थात् इस राशि विचलन निगम कोष के कार्यों के लिये किया गया था। अतः इस विचलन की स्वीकृति संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी से लिये जाने तक व्यय की गयी राशि ₹ 2,13,204.00 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

35. **सुरक्षित जमा की राशि का विचलन वेतन मद में**

नगर निगम के लेखापाल रोकड़बही से किये गये व्ययों की जॉच में पाया गया कि संवेदकों अथवा अन्य लोगों द्वारा निगम के पास जमा किये गये सुरक्षित जमा की राशि का समय–समय पर विचलन कर वेतन भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्नलिखित है –

क0 सं0	भाउचर सं0/ दिनांक	राशि (₹)	विवरण	पुनर्वापसी का भाउचर सं0/ दिनांक
1	999/03.09.09	20,00,000	सुरक्षित जमा की खाता सं0 543517883 से निगम की चालू खाता सं0 543567324 में वेतन भुगतान हेतु स्थानांतरित	1307/30.09.09
2	1688/23.11.09	10,00,000	सुरक्षित जमा की खाता सं0 543517883 से निगम की चालू खाता सं0 543567324 में वेतन भुगतान हेतु स्थानांतरित	1977/17.12.09
3	2817/25.02.10	5,00,000	सुरक्षित जमा की खाता सं0 543517883 से निगम की चालू खाता सं0 543567324 में वेतन भुगतान हेतु स्थानांतरित	1705/09.12.10
	योग –	**35,00,000**		

निगम कार्यालय द्वारा कुल ₹ 35 लाख का अस्थायी विचलन वेतन भुगतान के लिए किया गया था। इस विचलन के कारण संबंधित खाते में सूद से प्राप्त होने वाली राशि ₹ 21,239.00 की हानि हुयी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है –

क0 सं0	निकासी की गयी राशि (₹)	खाते से बाहर रखने की अवधि	3.5% की दर से सूद की राशि (₹)
1	20,00,000.00	27 दिन	5178.00
2	10,00,000.00	24 दिन	2301.00
3	5,00,000.00	287 दिन	13760.00
		योग –	**21,239.00**